राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1190/2025

शिवराम मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति, कठूमर, जिला अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, गोविन्दगढ़, जिला जयपुर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसके स्थान पर किसी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया है और पद वर्तमान में रिक्त है। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है, जो स्थानांतरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। आलोच्य स्थानांतरण आदेश में यह अंकित करते हुये जारी किया गया है कि सहायक अभियंताओं का स्थानांतरण राज्यहित में किया जाता है और इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण राज्यहित में किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल अनुज्ञेय है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी कार्मिक को नियुक्त किया जाना नियोक्ता का अधिकार है। स्थानांतरण/पदस्थापन सेवा का अभिन्न अंग है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर लोकहित में ली जानी है। इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य स्थानांतरण आदेश में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील बलहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष